

# मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना

As on Report February, 2017

1	योजना का नाम	मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	योजना राज्य में 1 जनवरी 2009 से प्रारम्भ की गई। योजना के अन्तर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य का समस्त राजकीय चिकित्सालयों के इन्डोर एवं आउटडोर में निःशुल्क उपचार किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क इलाज हेतु एम्स नई दिल्ली, अथवा पीजीआई, चंडीगढ़ में रेफर भी किया जाता है। प्रारम्भ में योजना के अन्तर्गत केवल बीपीएल परिवारों को ही शामिल किया गया। तत्पश्चात् समय-समय पर अन्य नई श्रेणियों के परिवारों/व्यक्तियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2009
4	लाभान्वित वर्ग	बीपीएल परिवार, स्टेट बीपीएल परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एचआईवी/एड्स मरीज, वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेन्शनधारी, अंत्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया परिवार के लाभार्थी, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी कथौड़ी जनजाति के परिवार, मेहरानगढ़ दुर्ग दुखांतिका जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रूप से निःशक्त व्यक्तियों के आश्रित माता-पिता सहित परिजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा अनुमोदित अनाथालयों (Hostels) में निवास कर रहे अनाथ बच्चे, राज्य सरकार द्वारा संचालित तथा अनुमोदित विशेष विद्यालयों में अध्ययनरत शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से विमंदित बच्चे, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में निवासरत महिलाएं तथा थैलेसिमिया व हिमोफिलिया रोग के उपचार हेतु प्रदेश के थैलेसिमिया व हिमोफिलिया के समस्त रोगी, नवजीवन योजना के समस्त लाभार्थी परिवार, राज्य की भोपा, बागरिया, बंजारा, गडिया- लाहोर, कंजर, सांसी, नट, मेव, मिरासी, जागा, जोगी, वाल्मिकी-हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिस्ती आदि जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्यन्त पिछड़े हुए ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रुपये तक है, जयपुर बम ब्लास्ट 2008 में मारे गये व्यक्तियों के आश्रित परिवारजन एवं गंभीर रूप से घायल व्यक्ति तथा राज्य के बारां जिले की खैरवा जाति (पिछडा वर्ग) के समस्त परिवार। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों की निःसंतान दंपतियों के यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च सरकार द्वारा योजना के तहत वहन किया जायेगा तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के हार्ट, कैंसर एवं किडनी रोगियों को इलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों में इलाज करवाने पर प्रति रोगी अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाई जायेगी।
5	पात्रता	संबंधित श्रेणी का कार्ड होने की स्थिति में ही संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य को निःशुल्क उपचार ग्रहण करने के पात्र माना जायेगा।

6	देय सुविधाएं	निःशुल्क चिकित्सा सुविधा (आउटडोर एवं इन्डोर)					
7	सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया	संबंधित श्रेणी का व्यक्ति या परिवार का सदस्य संबंधित श्रेणी का कार्ड दिखाकर राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर निःशुल्क इलाज हेतु एम्स नई दिल्ली, अथवा पीजीआई, चंडीगढ़ में रेफर भी किया जाता है।					
8	योजना की प्रगति	1 जनवरी 2009 से 28 फरवरी 2017 (मरीज लाखों में, व्यय राशि करोड़ों में)					
		ओपीडी मरीज	ओपीडी मरीजों पर व्यय	आईपीडी मरीज	आईपीडी मरीजों पर व्यय	कुल मरीज	मरीजों पर कुल व्यय
		298.66	138.03	23.25	158.58	321.91	296.61
		(वित्तीय वर्ष 2015-16) (मरीज लाखों में, व्यय राशि करोड़ों में)					
		ओपीडी मरीज	ओपीडी मरीजों पर व्यय	आईपीडी मरीज	आईपीडी मरीजों पर व्यय	कुल मरीज	मरीजों पर कुल व्यय
		35.99	15.07	2.55	17.59	38.54	32.66
		वित्तीय वर्ष 2016 -17 (फरवरी 2017 तक) (मरीज लाखों में, व्यय राशि करोड़ों में)					
		ओपीडी मरीज	ओपीडी मरीजों पर व्यय	आईपीडी मरीज	आईपीडी मरीजों पर व्यय	कुल मरीज	मरीजों पर कुल व्यय
		52.46	12.16	3.72	8.81	56.18	20.96
9	सम्पर्क सूत्र	<ul style="list-style-type: none"> <li>मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, दूरभाष - 0141-2221590</li> <li>संबंधित संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर</li> <li>निदेशक, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, दूरभाष - 0141-2229858, 2225653</li> <li>प्रधानाचार्य/नियंत्रक संबंधित मेडिकल कॉलेज</li> <li>परियोजना निदेशक, एमएमजेआरके, दूरभाष - 0141-5110731</li> <li>संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी</li> <li>प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित जिला चिकित्सालय</li> </ul>					